न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 76 सन 2019

अनवान :–

1. साहबराम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र टिकुमराम जाति जाट साकिन भावलेदसर तहसील नोहर।
2. सन्तोष पुत्री टिकुमराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. हरकोरी पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. दीपराम 5 रामजीलाल 6 सुलतान 7 महावीर प्रसाद 8 सावताराम पि0 भादरराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
9. ओमीदेवी पत्नी स्व हेतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
10 मैना पुत्री स्व हेतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर
11. राकेश पुत्र स्व हेतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 159/133 के खसरा न0 102/1 की 4.4907हैक ,खसरा न0 183 की 0.8729हैक खसरा न0 204/1 की 2.5679हैक खसरा न0 392 की 92472हैक खसरा न0 579/392 की 20.9737हैक भूमि जिसके भादरराम पुत्र बीरबलराम खातेदार काश्तकार थे। इसीप्रकार रोही मोज भावलदेसर के खाता संख्या 353/1278 के खसरा न0. 365/23 की 3.4281हैक भूमि जिसके हेतराम पुत्र चुन्नीराम खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार रोही मोजा भावलेदसर के खाता संख्या 77/50 की कुल 19.6328हैक भूमि जिसमें टिकुराम 1/3 हिस्सा , एवं रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 78/233 की कुल 2.4791हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

टिकुराम पुत्र बीरबलराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है तथा भादरराम पुत्र बीरबलराम का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 है तथा हेतराम पुत्र चुन्नीराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 है।

प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की बहन है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 की बहन है प्रतिवादी संख्या 9 ,10 प्रतिवादी संख्या 1 की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 8 ,11 के खातेदार काश्तकार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज थी टिकुराम पुत्र बीरबलराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है तथा भादरराम पुत्र बीरबलराम का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 है तथा हेतराम पुत्र चुन्नीराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,9 ,10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी 1, 4 ता 8 ,11 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 4 ता 8 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के पूर्वजों टिकुराम पुत्र बीरबलराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है तथा भादरराम पुत्र बीरबलराम का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 है तथा हेतराम पुत्र चुन्नीराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 है अर्थात वादी भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 हकदार है तथा वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,9 ,10 जो वादी/प्रतिवादीगण बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,9 ,10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 4 ता 8 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,9 ,10 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा भावलेदसर के खाता संख्या 77/59 की कुल 19.3228हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मोजा भवलदेसर के खाता संख्या 78/288 की कुल 2.4794हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवे रोही मोजा भावलेदसर के खाता संख्या 305/127 की कुल 3.4281हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 11 अकेला खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 159/133 की कुल 20.9737हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक   को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

श्रीमान जी

सत्यमेव जयते
True Copy Not Official